



Department of Revenue & Disaster Management
(Govt. of Haryana)
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

Appointment on Contract Basis
WALK-IN-INTERVIEW

The following posts are required to be filled up on contract basis in Revenue & Disaster Management Department, Haryana for Asset (Properties) Management Cell (Govt. Surplus Land) on fixed remuneration from the retired officials/officers of the Revenue Department of Haryana:-

1. Tehsildar

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 5 years service as Tehsildar/Naib Tehsildar, out of which 5 years as Tehsildar in Revenue Department and must be a graduate.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 40,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

2. Legal Officer

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 10 years service as DDA/ADA, out of which atleast 5 years as DDA preferably in Revenue Department.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 30,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

3. Kanungo

Number of post: 01(one)

Qualification: Atleast 5 years service as Field Kanungo in Revenue Department.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 25,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

4. Assistant

Number of post: 01(One)

Qualification: Atleast 05 years service as Assistant in Revenue Department and must be a graduate.

Tenure: Initially for a period of one year and extendable every year as per terms and conditions mutually agreed upon. His/her services may be terminated at any time without any notice if his services are not found satisfactory.

Remuneration: Rs. 25,000/- consolidated per month. No other allowance i.e. Dearness Allowance, House Rent Allowance, etc. of any type shall be admissible.

Eligible applicants shall report for walk-in-interview **on 11.12.2018 at 12:00 p.m.** in the O/o Additional Secretary to Govt., Haryana, Revenue and Disaster Management Department, Haryana, Chandigarh, Room No.312, 3rd Floor, New Haryana Secretariat Building, Sector-17, Chandigarh, alongwith their application form having detailed bio-data about service & experience, affixing two passport size photographs with proof of educational qualifications, date of birth and their self attested photocopies. Any retired officials/officers of the Revenue Department who has attained the age of 65 years will not be eligible for aforesaid post.

Jalal Singh
Superintendent Admn-I

for Additional Chief Secretary & Financial Commissioner to Govt.



अनुबंध आधार पर नियुक्ति

प्रत्यक्ष इंटरव्यू

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ में संपत्ति (प्रॉपर्टी) प्रबंधन सैल (सरकारी अधिशेष भूमि) के लिए निम्नलिखित पदों को राजस्व विभाग, हरियाणा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों से अनुबंध आधार पर निश्चित पारिश्रमिक पर लगाया जाना वांछित है:-

1. तहसीलदार

पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: तहसीलदार/उप तहसीलदार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें राजस्व विभाग में बतौर तहसीलदार 5 वर्ष का अनुभव तथा स्नातक।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक: 40,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

2. लीगल अधिकारी

पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: बतौर उप जिला न्यायवादी/सहायक जिला न्यायवादी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम बतौर उप जिला न्यायवादी 5 वर्ष का अनुभव, राजस्व विभाग के अनुभव वाले अधिकारी को वरीयता दी जायेगी।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक 30,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

3. कानूनगो

पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: राजस्व विभाग में फील्ड कानूनगो के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक: 25,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

4. सहायक


पदों की संख्या: 01 (एक)

योग्यता: राजस्व विभाग में सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा स्नातक।

कार्यकाल: प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष विस्तारयोग्य सहमति। उनकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि उनकी सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

पारिश्रमिक: 25,000/-रूपये समेकित प्रति माह किसी भी प्रकार के अन्य भत्ता यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।

योग्य आवेदक **दिनांक 11.12.2018 को दोपहर: 12.00 बजे** अतिरिक्त सचिव हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, कक्षा नं० 312, तृतीय मंजिल, न्यू सचिवालय हरियाणा, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके आवेदन पत्र के साथ सेवा और अनुभव के बारे में विस्तृत बायाडाटा, दो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफस, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण, जन्म तिथि और उनके स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी सहित रिपोर्ट करें। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी उक्त पदों के लिए पात्र नहीं हैं।


अधीक्षक प्रशासन-1